न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं०–6, रामपुर।

सिविल प्रकीर्ण वाद सं०–04/2022

रजि०नं०–41/2022, CNR No–UPRP010041292022

मै० ए०एस० एसोसिएशन बनाम अर्चना गंगवार आदि।

29–09–2023

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थी मै० ए०एस० एसोसिएशन के विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी सं०–14 के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र कागज सं०–3A2 एवं आपत्ति 12A पर पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि प्रार्थी मै० ए०एस० एसोसिएशन की ओर से प्रार्थना पत्र 3A2 इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी ने प्रकीर्ण वाद सं०–25/2014 मै० ए०एस० एसोसिएशन बनाम अर्चना गंगवार आदि, प्रकीर्ण वादसं०–10/2011 मै० ए०एस०एसोसिएशन बनाम अर्चना गंगवार के पुनर्स्थापन हेतु दाखिल किया गया था। उपरोक्त प्रकीर्ण वाद सं०–25/2014 न्यायालय में लंबित था जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 25–02–2022 नियत थी। दिनांक 25–02–2022 को न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक 24–03–2022 नियत की गयी, परन्तु प्रार्थी फर्म के पैरोकार अमरीस शर्मा द्वारा भूलवश दिनांक 24–03–2022 के स्थान पर दिनांक 04–05–2022 नोट कर ली गयी और पैरोकार द्वारा प्रार्थी के विद्वान अधिवकत को भी नोट करा दी गयी। दिनांक 04–05–2022 को पैरोकार न्यायालय उपस्थित आया तब जानकारी हुई कि उक्त प्रकीर्ण वाद सं०–25/2014 की पत्रावली नियत नहीं है। पेशकार की डायरी से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त मामले में दिनांक 25–02–2022 नियत थी जो दिनांक 24–03–2022 के लिए नियत की गयी थी न की 04–05–2022 के लिए पैरोकार द्वारा दिनांक 04–05–2022 गलत नोट कर ली गयी। यह भी जानकारी हुई कि न्यायालय ने उक्त प्रकीर्ण वाद सं०–25/2014 दिनांक 24–03–2022 को निर्णित कर दिया है। प्रार्थी द्वारा तुरन्त आदेश दिनांकित 24–03–2022 की सत्यप्रतिलिपि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तब जानकारी हुई कि दिनांक 24–03–2022 को न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण वाद सं०–25/2014 पक्षकारों की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया है। उक्त आदेश दिनांकित 24–03–2022 की प्रति प्रार्थी को दिनांक 11–05–2022 को प्राप्त हुई। दिनांक 24–03–2022 से पूर्व प्रार्थी उक्त मामले में न्यायालय में आता रहा है। दिनांक 24–03–2022 की अनुपस्थिति सदभावनापूर्वक पैरोकार द्वारा गलत तारीख नोट कर लिये जाने के कारण हुई है। यदि पैरोकार द्वारा दिनांक 24–03–2022 के स्थान पर 04–05–2022 नोट नहीं की गयी होती तो प्रार्थी का उक्त प्रकीर्ण वाद सं०–25/2014 खारिज नहीं हुआ होता। प्रार्थी अपने प्रकीर्ण वाद सं०–25/2014 को गुण–दोष के आधार पर लड़ना चाहता है। अतः आदेश दिनांकित 24–03–2022 को अपास्त कर उक्त प्रकीर्ण वाद को उसके मूल नंबर पर कायम कर दिया जाये।

Digitally signed by SHAMIM AHMAD ANSARI
Date: 2023.10.30 18:06:42 NPT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थी द्वारा याचना की गयी है कि प्रकीर्ण वाद सं०–25/2014 मै० ए०एस० एसोसिएशन बनाम अर्चना गंगवार आदि में पारित आदेश दिनांकित 24–03–2022 को अपास्त कर उसके मूल नंबर पर कायम करते हुए उक्त मूल में गुण–दोष के आधार पर निर्णित किया जाये।

प्रार्थी की ओर से अपने उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में सूची 7c से सिविल मिस० अपील सं०–25/2014 में पारित आदेश दिनांकित 24–03–2022 की प्रमाणित प्रति, सूची 16c से डाक विभाग द्वारा प्रेषित पंजीकृत रसीद मय स्टेटस की प्रति 17D/1 व 17D/2 तथा पैरोकार अमरीश शर्मा व प्रीति पाल सिंह के शपथ पत्र क्रमशः 5A2/1 व 5A2/3 प्रस्तुत किये गये हैं।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रार्थी द्वारा मै० ए०एस० एसोसिएशन बनाम अर्चना गंगवार आदि प्रकीर्ण सिविल अपील सं०–10/2011 योजित की गयी है जो दिनांक 19–08–2014 को प्रार्थी/अपीलार्थी मै० ए०एस० एसोसिएशन की अनुपस्थिति एवं विपक्षीगण उत्तरदाता की उपस्थिति में न्यायालय अपर जिला जज, न्याय कक्ष सं०–1, रामपुर द्वारा खण्डित की गयी है जिसके पुनर्स्थापन हेतु प्रार्थी की ओर से प्रकीर्ण वाद सं०–25/2014 मै० ए०एस० एसोसिएशन बनाम अर्चना गंगवार व 13 अन्य के विरूद्ध योजित की गयी है जो दिनांक 24–03–2022 को पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), रामपुर द्वारा खण्डित की गयी जिसके पुनर्स्थापन हेतु उक्त प्रकीर्ण वाद सं०–04/2022 योजित किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकीर्ण वाद के माध्यम से प्रकीर्ण वाद सं०–25/2014 में पारित आदेश दिनांकित 24–03–2022 को अपास्त किये जाने की याचना की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित हुआ कि उक्त मामले में विपक्षी सं०–2 सुभांक प्रकाश व विपक्षी सं०–5 श्रीमती गायत्री देवी के अतिरिक्त अन्य सभी विपक्षीगण को प्रेषित नोटिस उनके द्वारा लेने से इंकार करने पर उसके आधार पर न्यायालय द्वारा नोटिस तामील पर्याप्त मानी गयी। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि विपक्षी सं०–2 सुभांक व 5 श्रीमती गायत्री देवी की उपस्थिति हेतु पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 18–05–2023 को नोटिस प्रेषित किये गये। प्रार्थी की ओर से उक्त विपक्षीगण सं०–2 सुभांक व 5 श्रीमती गायत्री देवी पर नोटिस की तामीला के संबंध में डाक विभाग की साईड से निर्गत स्टेटस प्रति दाखिल की गयी हैं जिसमें विपक्षी सं०–2 सुभांक पर "Item Delivery Confirmed"दर्शाया गया है तथा विपक्षी सं०–5 श्रीमती गायत्री देवी पर "Item Bagged" दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त विपक्षी सं०–2 की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया परन्तु विपक्षी सं०–14 के अतिरिक्त अन्य किसी भी विपक्षी की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

विपक्षी स०–1व 2 की ओर से पूर्व में स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही वे उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विपक्षी नोटिस की तामीला के बावजूद उपस्थित

नहीं आया है और न ही उनकी ओर से किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और न ही आपत्ति प्रस्तुत की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित हुआ कि विपक्षी सं०–14 अमित कुमार सक्सेना की ओर से आपत्ति कागज सं०–12A इन कथनों के साथ प्रस्तुत की गयी है कि प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र अमरीश शर्मा एवं प्रीतिपाल सिंह असत्य व गलत तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थी ने जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्यों को न्यायालय से छिपाया है। प्रार्थी का यह कथन पूर्णतया असत्य है कि प्रार्थी के पैरोकार अमरीश शर्मा द्वारा दिनांक 24–03–2022 के स्थान पर दिनांक 04–05–2022 नोट कर ली गई हो। इस संबंध में प्रार्थी ने समस्त कहानी झूठी बनायी है। प्रार्थी का यह कथन भी असत्य है कि वकील साहब ने भी पैरोकार के कहने से दिनांक 24–03–2022 के स्थान पर 04–05–2022 नोट की हो। वास्तविकत यह है कि दिनांक 25–02–2022 को न्यायालय द्वारा दिनांक 04–05–2022 नियत ही नहीं की गयी थी बल्कि दिनांक 24–03–2022 नियत की गयी थी। पैरोकार दिनांक 04–05–2022 को भी हाजिर नहीं आया था। न्यायालय द्वारा दिनांक 24–03–2022 को नियमानुसार आदेश पारित कर दिया गया है। दिनांक 24–03–2022 को प्रार्थी व उसके पैरोकार व अधिवक्ता जानबूझकर गैर हाजिर रहे हैं। प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन समय सीमा से बाधित है। देरी का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और न देरी माफी हेतु कोई प्रार्थना की गई है। आदेश दिनांकी 24–03–2022 निरस्त कराने का कोई भी ठोस व विश्वसनीय आधार प्रार्थी द्वारा नहीं दिया गया है। धारा 151 सी०पी०सी० के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं है। प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24–03–2022 के द्वारा उक्त प्रकीर्ण वाद उभय पक्षों की अनुपस्थिति में खण्डित किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह कथन किया गया है कि यदि प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत करने में कोई विलम्ब हुआ है तो उसे क्षमा किये जाने की याचना की गयी। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकीर्ण वाद दिनांक 24–03–2022 को उभय पक्षों की अनुपस्थिति में खण्डित किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कहा गया है कि उक्त मामले में पैरोकार द्वारा गलती से दिनांक 24–03–2022 के स्थान पर 04–05–2022 नोट कर ली गयी। दिनांक 04–05–2022 को पैरोकार के न्यायालय में आने पर पेशकार की डायरी से उक्त प्रकीर्ण वाद के निर्णीत होने की जानकारी हुई। प्रार्थी द्वारा नकल सवाल डाले जाने पर उक्त आदेश की नकल दिनांक 11–05–2022 को प्राप्त होने पर उक्त वाद के खण्डित होने की जैसे ही जानकारी हुई प्रार्थी द्वारा दिनांक 19–07–2022 को प्रश्नगत प्रकीर्ण वाद प्रस्तुत किया गया। निश्चित रूप से प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी मौखिक बहस के दौरान यह कहा गया है कि यदि न्यायालय समझता है कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है तो विलम्ब को क्षमा कर दिया जाये और मामले को गुण–दोष पर निर्णीत किये जाने की याचना की गयी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा अनेक विधि व्यवस्थाओं में यह अवधारित किया गया है कि पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विलम्ब माफी के मामले में ज्यादा तकनीकी दृष्टिकोण न्यायालय को नहीं अपनाना चाहिए। चूंकि प्रार्थी द्वारा अपनी अनुपस्थिति का कारण पैरोकार द्वारा उक्त मामले की गलत तारीख नोट कर लेना बताया गया है। प्रार्थी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में पैरोकार मुकदमा अमरीश शर्मा व पार्टनर प्रीति पाल सिंह के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जिनके खण्डन में विपक्षी सं०–14 की ओर से कोई प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित हुआ कि इसके पूर्व प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित आता रहा है। अतः मामले को गुण–दोष के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र 3A2 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 3A2 मु० 5,00/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24–03–2022 अपास्त किया जाता है। सिविल प्रकीर्ण वाद सं०–25/2014, मै० ए०एस० एसोसिएशन बनाम अर्जना गंगवार आदि अपने मूल नम्बर पर कायम हो। पत्रावली दिनांक 05–10–2023 को पेश हो। तदनुसार आपत्ति निस्तारित। कार्यालय लिपिक हर्जा अदायगी उपरान्त अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(शमीम अहमद अंसारी)
अपर जिला न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं०–6,
रामपुर।
29–09–2023
J.O. Code No–UP 1617